भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/295

विवि.एचओएल.आरईसी.214/16-13-100/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - स्वैच्छिक समामेलन) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक.....2

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.....2

बी. प्रयोज्यता.....2

सी. परिभाषाएं.....2

डी. व्यापकता.....3

अध्याय II - शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन.....4

अध्याय III - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन.....5

अध्याय IV - समामेलन योजना का कार्यान्वयन.....9

अध्याय V - निरसन और अन्य प्रावधान.....10

ए. निरसन और संरक्षण.....10

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं.....10

सी. व्याख्याएं.....10

अनुबंध.....12

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 39) द्वारा यथा संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए और धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसकी धारा 56 के साथ पठित; और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ('भारिबैं') को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/विधियों, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक- स्वैच्छिक समामेलन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश ग्रामीण सहकारी बैंकों (आगे सामूहिक रूप से 'बैंको' और वैयक्तिक रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

   इस संदर्भ में, ग्रामीण सहकारी बैंकों का अर्थ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में यथा परिभाषित राज्य सहकारी बैंक (सामूहिक रूप से 'एसटीसीबीस 'और वैयक्तिक रूप से 'एसटीसीबी' के रूप में संदर्भित) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सामूहिक रूप से 'डीसीसीबीस' और वैयक्तिक रूप से 'डीसीसीबी' के रूप में संदर्भित) होगा।

सी. परिभाषाएं

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां दिए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो नीचे दिया गया है:

   (1) **‘समामेलित संस्था'** का अर्थ है वह संस्था जिसे समामेलन की योजना के अंतर्गत अपने कारोबार को किसी अन्य संस्था को अंतरित करने का प्रस्ताव है।

   (2) **‘समामेलन संस्था'** का अर्थ है वह संस्था जिसे समामेलन की योजना के अंतर्गत समामेलित संस्था का कारोबार प्राप्त करना है।

(3) **'समामेलन'** का आशय एक या एक से अधिक संस्थाओं का किसी अन्य संस्था के साथ संबंधित कानूनों/विनियमों के तहत विलय योजना (या जो भी नाम दिया जाए), जिसमें प्रक्रिया के नियम और तौर-तरीके निर्धारित होते हैं, के अंतर्गत विलय से है।

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों, जब तक कि यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, अथवा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 अथवा उसमें किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुन: अधिनियमन अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शर्तों की शब्दावली अथवा वाणिज्यिक भाषा में, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत उन्हें दिया गया है।

डी. व्यापकता

6. समामेलन के निम्नलिखित मामलों को इन निदेशों के तहत कवर किया जाएगा:

(1) एसटीसीबी के साथ राज्य में एक अथवा एक से अधिक डीसीसीबी, अथवा

(2) एक डीसीसीबी के साथ दूसरी डीसीसीबी।

अध्याय II - शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

7. समामेलन की ड्राफ्ट योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए के प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्रत्येक बैंक की आम सभा की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले शेयरधारकों के दो तिहाई के बहुमत, संख्या और मूल्य दोनों के आधार पर, द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

8. समामेलन की प्रारूप योजना को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई शेयरधारकों की प्रत्येक बैठक की सूचना, बैंकों के पंजीकृत कार्यालय वाले क्षेत्र या क्षेत्रों में प्रसारित होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में लगातार तीन सप्ताह तक सप्ताह में कम से कम एक बार प्रकाशित की जाएगी, और इनमें से एक समाचार पत्र उस क्षेत्र या क्षेत्रों में आम तौर पर समझी जाने वाली भाषा में होना चाहिए।

अध्याय III - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन

9. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('नाबार्ड') के साथ परामर्श करते हुए समामेलन के प्रस्ताव की जांच की जाएगी और स्वीकृति /अनुमोदन दो चरण की प्रक्रिया होगी।

(1) पहले चरण में, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेजों [प्रवाह पोर्टल के माध्यम से (https://pravaah.rbi.org.in)] पर विचार करने के बाद पात्रता शर्तों, विनियामक मानदंडों और निम्नानुसार निर्धारित सामान्य प्रतिफल की पूर्ति के अंतर्गत, एक 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया जाएगा:

(i) पात्रता शर्तें

(ए) राज्य सरकार विधिक फ्रेमवर्क के विस्तृत अध्ययन के साथ अतिरिक्त पूंजी लगाने की रणनीति, यदि आवश्यक हो तो वित्तीय सहायता के संबंध में आश्वासन, स्पष्ट लाभप्रदता के साथ एक अनुमानित कारोबार मॉडल और समामेलित बैंक के लिए प्रस्तावित अभिशासन मॉडल के साथ समामेलन के लिए प्रस्ताव करेगी।

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने से पहले नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच और संस्तुति की जानी चाहिए।

(सी) समामेलन की योजना को संबंधित बैंकों के शेयरधारकों के अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जैसा कि इन निदेशों के पैरा 7 में निर्धारित किया गया है।

(ii) विनियामक मानदंड

(ए) यह प्रस्ताव विधिक आवश्यकताओं और न्यायालयों के पूर्व आदेशों अथवा निर्णयों, यदि कोई है, के अनुपालन में होना चाहिए। राज्य सरकार यह सत्यापित करेगी कि समामेलन के प्रस्ताव पर रोक लगाने या स्थगित करने का कोई न्यायालय आदेश नहीं है।

(बी) समामेलन के बाद संस्था के वित्तीय मानदंड, कल्पित रूप से समेकित नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर मजबूत होने चाहिए। संस्था का सीआरएआर निर्धारित नियामक न्यूनतम से अधिक होना चाहिए, कुल एनपीए सात प्रतिशत से कम और निवल एनपीए पांच प्रतिशत से कम होनी चाहिए और पर्याप्त तरल संपत्ति की उपलब्धता होनी चाहिए। समामेलन के बाद यह एक निरंतर आधार पर एक लाभ-निष्पादन और वित्तीय रूप से व्यवहार्य संस्था होनी चाहिए।

(सी) समामेलन संस्था के पास विनियामक और पर्यवेक्षी अनुपालन संबंधी ट्रैक रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए।

(डी) समामेलन संस्था के पास सुदृढ़ अभिशासन/प्रबंधन प्रथाएं होनी चाहिए।

(iii) सामान्य विवेचन

(ए) संघटकों अर्थात् समामेलित डीसीसीबी, समामेलन संस्था (एसटीसीबी अथवा अन्य डीसीसीबी, जैसा भी लागू है) और राज्य सरकार द्वारा एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा जिसमें अभिशासन संरचना, प्रबंधन, जनशक्ति / मानव संसाधन निर्गमों के मुद्दों और समामेलित संस्थाओं की निवल मालियत के आधार पर शेयर स्वैप अनुपात पर पहुंचने के तरीके को शामिल किया जाएगा। समामेलित और समामेलन दोनों संस्थाओं की निवल मालियत की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - विविध) निदेश, 2025 में निहित दिशानिर्देशों और लागू अन्य विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

(बी) सनदी लेखाकारों द्वारा समामेलित संस्थाओं पर समुचित सावधानी बरती जाएगी। समामेलन संस्था में शेयर समामेलित संस्थाओं की निवल मालियत के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। शेयरों के आबंटन के लिए शेयर स्वैप अनुपात का निर्धारण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में पंजीकृत सनदी लेखाकारों फर्म द्वारा आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

(सी) यदि निवल मालियत के आधार पर शेयर स्वैप अनुपात के परिणामस्वरूप, कुछ डीसीसीबी के शेयरधारकों को कोई शेयर आवंटित नहीं किया जा सकता है, तो राज्य सरकार ऐसे डीसीसीबी में पर्याप्त पूंजी लगाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे डीसीसीबी के शेयरधारकों को कम से कम एक शेयर आवंटित किया जाए।

(डी) मौजूदा आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अनुपालन के अलावा, समामेलन करने वाले बैंकों की निवल संपत्ति के मूल्य की गणना करते समय धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन आदि के कारण संपत्ति की हानि, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाएगा।

(ई) समामेलन के बाद समामेलित संस्था को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीआरएआर मानदंडों का पालन करना होगा। सीआरएआर आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित पूंजी में किसी भी कमी को राज्य सरकार द्वारा निरंतर आधार पर पूरा किया जाएगा।

(एफ) समामेलन के बाद समामेलन संस्था, समामेलित संस्थाओं को दी गई विभिन्न अनुमति/अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करेगी ताकि समामेलन के अधीन संस्थाओं द्वारा वर्तमान में दी गई सेवाओं में से कोई भी जोखिम में न पड़े। समामेलन के बाद संस्था

द्वारा परिचालन शुरू करने से पहले उक्त सेवाओं के लिए आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। यदि समामेलन संस्था कतिपय कारोबारी लाइनों को जारी रखने के लिए पात्र नहीं है, जिनकी समामेलित संस्थाओं को अनुमति दी गई है, तो ऐसे कारोबारी लाइनों को अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर चरणबद्ध रूप से गैर-विघटनकारी रूप से समाप्त कर दिया जाएगा।

(जी) समामेलन संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन करने से पहले समामेलन के अंतर्गत सभी संस्थाओं की आईटी प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण को सक्षम करने के लिए इसकी आईटी प्रणाली को उचित रूप से संरचित किया गया है। समामेलन से पहले सभी समामेलित संस्थाओं की आईटी प्रणालियों की माइग्रेशन लेखापरीक्षा पूर्ण की जाएगी। समामेलन के अधीन संस्थाएं समामेलन संस्था के मंच पर माइग्रेट होने से पूर्व प्रणाली की अखंडता स्थापित और प्रमाणित की जाएगी।

(एच) समामेलन के तीन महीने के भीतर समामेलन के बाद गठित संस्था के एक नए बोर्ड का गठन किया जाएगा। नियुक्त होने वाले एमडी/सीईओ को आरबीआई द्वारा निर्धारित योग्य और उचित मानदंडों को पूरा करना होगा।

(आई) निदेशक मंडल के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक-अभिशासन) निदेश, 2025 के प्रावधानों के अनुसार समामेलन के तीन महीने के भीतर समामेलन के बाद गठित संस्था के लिए एक 'प्रबंध बोर्ड' (बीओएम) स्थापित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए समामेलन संस्था के उप-विधियों को संशोधित किया जाएगा ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बीओएम से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया जा सके।

(जे) समामेलन संस्था और समामेलित संस्थाओं द्वारा जमाराशियों पर प्रदान की जाने वाली ब्याज दरों में विचलन के मामले में, समामेलन संस्था समामेलित संस्थाओं के जमाकर्ताओं को पर्याप्त सूचना अवधि प्रदान करेगा ताकि वे अपनी जमा राशि जारी रखने के संबंध में निर्णय ले सकें। उक्त अवधि के भीतर अपनी जमाराशियां बंद करने का विकल्प चुनने वाले जमाकर्ताओं से इस तरह के समय से पूर्व आहरण के लिए कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

(के) समामेलन के लिए जो प्रस्ताव सांकेतिक बेंचमार्कों को पूरा करते हैं उनका मूल्यांकन नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा योग्यता पर किया जाएगा और यह ऐसी अतिरिक्त शर्तों अथवा आवश्यकताओं के अधीन हो सकता है जो आवश्यक समझा जाए।

(2) सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने पर, समामेलन की प्रक्रिया सभी संबंधित द्वारा शुरू की जाएगी। उपर्युक्त प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, राज्य सरकार निम्नलिखित को भारिबैं [प्रवाह पोर्टल के माध्यम से (https://pravaah.rbi.org.in)] और नाबार्ड को अंतिम स्वीकृति/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी:

(i) सैद्धांतिक स्वीकृति में निर्धारित शर्तों के अनुपालन का विस्तृत विवरण देने वाली अनुपालन रिपोर्ट, जिसमें सभी सांविधिक, कानूनी और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पूरा होना शामिल है;

(ii) समामेलन के संबंध में समामेलन संस्था द्वारा डीआईसीजीसी से प्राप्त अनापत्ति; और

(iii) इन निदेशों के अनुबंध में विनिर्दिष्ट सभी जानकारी और दस्तावेज।

अध्याय IV - समामेलन योजना का कार्यान्वयन

10. समामेलन के लिए अंतिम अनुमोदन देते समय समामेलित संस्थाओं की आस्तियों और देयताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किए गए समामेलन की तारीख को समामेलन संस्था को अंतरित किया जाएगा।

11. समामेलन संस्था को जारी बैंकिंग लाइसेंस समामेलन प्रक्रिया के बाद जारी रहेगा।

12. समामेलन के बाद, समामेलन संस्था को:

    (1) निर्धारित समय-सीमा के भीतर समामेलन के लिए अंतिम अनुमोदन की शर्तों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी;

    (2) समामेलन के तीन महीने के भीतर समामेलित संस्थाओं के लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित करनी होगी;

    (3) समामेलन की तारीख से तीन महीने के भीतर समामेलित संस्थाओं की सभी मौजूदा शाखाओं के लिए शाखा लाइसेंस के लिए भारिबैं को आवेदन करें जिससे समामेलित संस्थाओं की सभी मौजूदा शाखाओं को समामेलन संस्था की शाखाओं में परिवर्तित किया जाएगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 23 के दायरे में लाया जाएगा;

    (4) शाखाओं के स्थानांतरण और नियंत्रक कार्यालयों सहित कारोबार के किसी नए स्थान को खोलने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा , बशर्ते कि ऐसे अनुमोदन प्रदान करना मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार होगा;

    (5) शेयरों के आबंटन के संबंध में समामेलित बैंकों और उनके सदस्यों के दावों के निपटान के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी/संस्था द्वारा शुरू किए गए चरणों का विवरण लंबित दावों की सूची और ऐसे दावों के निपटान के लिए समय-सीमा के विवरण के साथ प्रस्तुत करें; और

    (6) समामेलन के बाद पहले वार्षिक खातों में भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 के रूप में प्रकटीकरण करना होगा।

अध्याय V - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और संरक्षण

13. इन निदेशों के जारी होने के साथ ग्रामीण सहकारी बैंक के स्वैच्छिक समामेलन से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से निरस्त किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पूर्व निरस्त निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

14. ऐसे निरसन के बावजूद निरसित निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या की जाने वाली कोइ भी कार्रवाई या प्रारंभ की गई कारवाई ,उसके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरसित सूची के अंतर्गत प्रदत्त सभी अनुमोदन अथवा पावती इन निदेशों द्वारा शासित माने जाएंगे। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से निम्नलिखित पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं होगा:

    (1) उनके तहत अर्जित, संचित या उपगत कोई अधिकार, दायित्व या देयता;

    (2) उनके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;

    (3) उक्त के अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और ऐसे किसी भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

15. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवमानना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएं

16. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन से या इनके प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारिबैं यदि आवश्यक समझता है, यहां शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारिबैं द्वारा दिए गए इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सेंटा जॉय)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड को समामेलन योजना के आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

ए. पात्रता शर्तों, विनियामक मानदंडों और सामान्य विवेचन का अनुपालन करने के लिए दस्तावेज़:

1. राज्य सरकार का औपचारिक अनुमोदन।
2. व्यवहार्यता अध्ययन।
3. इन निदेशों के पैरा 9(1)(iii)(ए) में निर्धारित संघटक द्वारा निष्पादित समझौता ज्ञापन की प्रति।
4. शेयरधारकों द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रस्ताव के साथ समामेलन की मसौदा योजना।

बी. शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

5. अनुमोदन हेतु आयोजित शेयरधारकों की प्रत्येक बैठक की सूचना की प्रति के साथ समाचारपत्र की कतरनें इन निदेशों के पैरा 8 में दी गई सूचना प्रकाशन की आवश्यकताओं के अनुपालन का साक्ष्य देती हुई।
6. निम्न को प्रमाणित करते हुए शेयरधारकों की बैठक की अध्यक्षता करनेवाले प्रत्येक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र:

    (1) बैठक में पारित रेजल्यूशन की प्रति;

    (2) बैठक में उपस्थित शेयरधारकों की संख्या;

    (3) शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने रेजल्यूशन के पक्ष में मतदान किया और उनके द्वारा धारित शेयरों का कुल मूल्य;

    (4) शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने रेजल्यूशन के विरुद्ध मतदान किया और उनके द्वारा धारित शेयरों का कुल मूल्य;

    (5) शेयरधारकों की संख्या, जिनके मतदान को अमान्य घोषित किया गया था और उनके द्वारा धारित शेयरों का कुल मूल्य;

(6) शेयरधारकों के नाम, यदि कोई है, जिन्होंने पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में नोटिस दिया है कि वह समामेलन की प्रस्तावित योजना से असहमत हैं, साथ ही उनमें से प्रत्येक के पास धारित शेयरों की संख्या।

सी. अभिशासन संबंधी सूचना

7. समामेलित बैंक में व्यावसायिक अभिशासन / प्रबंधन को सक्षम बनाने वाले प्रस्तावित अभिशासन सुधार।

डी. वित्तीय सूचना और प्रकटीकरण

8. समामेलन के लिए प्रस्तावित सभी बैंकों की पिछले दो वित्तीय वर्षों की वित्तीय स्थिति का लेखा परीक्षण।

9. समामेलन के बाद समामेलित संस्था की वित्तीय संरचना।

10. परिचालन सहक्रियाओ और लागत प्रबंधन के क्षेत्र।

11. समामेलन से पूर्व की पेंशन देयताएं। पेंशन योजना में परिवर्तन, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप देनदारियों में वृद्धि/कमी के विवरण के साथ पेंशन देनदारियों के मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन की पद्धति का खुलासा किया जाएगा। इस प्रकटीकरण में समामेलन बैंकों/समामेलित बैंकों के कर्मचारियों पर लागू होने वाली पेंशन योजनाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरण शामिल होगा।

12. आवेदन/प्रस्तावन की तारीख को समामेलित बैंकों में लंबित सतर्कता मामलों और शिकायतों की स्थिति।

13. लंबित धोखाधड़ी के मामलों, बकाया अंतर-बैंक समायोजन और अंतर-शाखा खातों तथा अन्य मध्यस्थ खातों की विलय से पहले की स्थिति।

ई. मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट

14. स्वैप अनुपात के निर्धारण के लिए नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट।

एफ. समुचित सावधानी रिपोर्ट (डीडीआर)

15. सनदी लेखाकार से प्राप्य समुचित सावधानी रिपोर्ट (डीडीआर), जिसमें सामान्यत: निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

(1) डीडीआर का दायरा / अधिदेश;

(2) उपयोग की गई जानकारी के स्रोत और अधूरी/उपलब्ध डेटा/सूचना के कारण सीमाएं, यदि कोई हों;

(3) विदेशी मुद्रा कारोबार जैसे प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी I अथवा II), भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल आदि सहित किए जा रहे कारोबार की प्रकृति;

(4) शेयर पूंजी और शेयर धारिता पैटर्न;

(5) प्रबंधन संरचना और सदस्यता धारण करने का संगठनात्मक चार्ट;

(6) प्रयुक्त लेखांकन नीतियां/ प्रथाएं और उपयोग में सॉफ्टवेयर;

(7) मौजूदा समझौते, अनुबंध और बीमा;

(8) विधिक मामले – बैंक द्वारा और उसके विरुद्ध;

(9) सांविधिक देयता मूल्यांकन और अनुपालन (आईटी, पीएफ, टीडीएस, आदि); लगाया गया दंड, यदि कोई हो;

(10) देयता विवरण (जमा, स्टाफ, अन्य के लिए) और आकस्मिक देनदारियों का विवरण;

(11) संपत्ति विवरण के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसकी वास्तविक आईआरएसी स्थिति / अचल संपत्ति-मूल्यांकन पद्धति, अन्य परिसंपत्तियों;

(12) प्रति मदें;

(13) तुलनपत्रेतर मदें और आकस्मिक देयताएं, यदि कोई हो;

(14) वसूली योग्य मूल्य सहित निवल आस्तियों और निवल देयताओं की समीक्षा;

(15) प्रावधान के तहत संपत्ति और संपत्ति में क्षरण पर पॉइंटर्स का स्वतंत्र अध्ययन (उदाहरण के लिए ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, आयकर, मूल्यह्रास, स्टाम्प शुल्क, आदि), देयता का कम आंकलन (उदाहरण के लिए परपक्व सावधि जमा, आदि पर ब्याज देयता की गैर-मान्यता) और इन्हें निवल मालियत गणना में शामिल करना।

(16) गैर-बैंकिंग आस्तियां, यदि कोई हो;

(17) निवल मालियत विवरण;

(18) बाजार मूल्य के साथ स्वामित्व और पट्टे पर दी गई संपत्ति का विवरण।;

(19) निदेशकों को ऋण आदि;

(20) संभावित धोखाधड़ी अथवा वित्तीय अपकरण के कोई संकेत।

जी. अन्य सूचना और दस्तावेज

16. समामेलन की योजना पर विचार करने के लिए प्रासंगिक अतिरिक्त जानकारी।

17. जो भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यक हो ऐसी अन्य सूचना और दस्तावेज।